न्यायालय अतिरिक्त कलक्टर, चित्तौड़गढ़ जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

पीठासीन अधिकारी– रतन कुमार (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या	दायर दिनांक	निर्णय दिनांक
031/2020 (GCMS 2020/00082)	23.10.2020	16.07.2021

अनवान

राजस्थान सरकार जरिये विकास अधिकारी बडीसादडी पंचायत समिति बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़

निगराकार

बनाम

1. सोसरदेवी पति हीरालाल शर्मा निवासी बानसी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)
2. ग्राम पंचायत बानसी पंचायत समिति बडीसादडी जरिये सरपंच ग्राम पंचायत बडीसादडी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ (राज.)

गैर निगराकार

–:: निगरानी अन्तर्गत धारा 97 पंचायती राजअधिनियम 1994, विरूद्ध ग्राम पंचायत बानसी द्वारा जारी आवासीय भूमि का बुक संख्या 16, पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 ::–

उपस्थिति :– गोवर्धनलाल कुम्हार, (सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी) — निगराकार
अनुपस्थित — गैर निगराकार संख्या 1, 2

–:: निर्णय ::–

प्रकरण का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि निगराकार ने एक निगरानी प्रार्थना पत्र अंतर्गत धारा 97 राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम, 1994 विरूद्ध गैर निगराकारान के प्रस्तुत कर निवेदन किया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा पारित आदेश न्याय एवं विधि प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि ग्राम पंचायत बानसी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि में न होकर राजस्व रेकार्ड आराजी संख्या 1089 खातेदारी भूमि में है जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

आबादी भूमि को ही विक्रय कर सकती है, चारागाह एवं अन्य सरकारी भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है। फिर भी ग्राम पंचायत बानसी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विपक्षी संख्या 1 को पुश्तैनी पट्टा जारी किया वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। पक्षकार बडीसादडी तहसील के निवासी होने से तथा उक्त भूमि बानसी तहसील बडीसादडी जिला चित्तौड़गढ़ में स्थित होने से श्रवणाधिकार आप न्यायालय में है। विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टे पर विकास अधिकारी पंचायत समिति बडीसादडी के कही पर भी हस्ताक्षर नहीं है, पट्टा जारी किया वह स्वतः ही निरस्त योग्य है। अतः प्रार्थना है कि निगरानी निगराकार प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत बानसी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 को जारी पुश्तैनी पट्टा निरस्त फरमाया जावें।

इस पर निगरानी को दर्ज रजिस्टर किया जाकर गैर निगराकारान को जरिये नोटिस के तलब किया गया एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी से मूल अभिलेख तलब किया गया। इस पर दिनांक 21.01.2021 को गैर निगराकारान संख्या 1, 2 के बावजूद सूचना के हाजिर नहीं आने से गैर निगराकारान की अनुपस्थिति रिकार्ड की गई। दिनांक 16.07.2021 को विकास अधिकारी बडीसादडी द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रकरण में उपलब्ध अभिलेख/पत्रावली प्रेषित किये गये जो कि रिकार्ड पर होकर पत्रावली के हम किता है। दिनांक 16.07.2021 को हाजिर गोवर्धनलाल कुम्हार, सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी, प्रतिनिधि विकास अधिकारी बडीसादडी द्वारा बहस का निवेदन किया गया। इस पर हाजिर सहायक विकास अधिकारी द्वारा की गई बहस पत्रावली को एक तरफा सुना गया। सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी द्वारा निगरानी मेमों में वर्णित तथ्यों को दोहराया एवं बताया कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा पारित आदेश न्याय एवं विधि प्रावधानों के प्रतिकूल है क्योंकि ग्राम पंचायत बानसी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को जारी पट्टा आबादी भूमि में न होकर राजस्व रेकार्ड आराजी संख्या 1089 खातेदारी भूमि में है जो निरस्त होने योग्य है। राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम के तहत ग्राम पंचायत आबादी भूमि को ही विक्रय कर सकती है, चारागाह एवं अन्य सरकारी भूमि को विक्रय करने का ग्राम पंचायत को कोई अधिकार नहीं है, फिर भी ग्राम पंचायत बानसी ने अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर विपक्षी संख्या 1 को पुश्तैनी पट्टा जारी किया जो कि निरस्त योग्य है। निगराकार द्वारा अपने तर्क के समर्थन में उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को परिवाद के क्रम में प्रेषित जांच प्रतिवेदन क्रमांक/सतर्कता/2020/62 दिनांक 20.03.2020 का अवलोकन कराया। उक्त पत्र की प्रति शामिल पत्रावली होकर रिकार्ड पर है। अतः निगरानी निगराकार प्रार्थी स्वीकार फरमाई जाकर ग्राम पंचायत

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

बानसी द्वारा विपक्षी संख्या 1 को पट्टा बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 को जारी पुश्तैनी पट्टा निरस्त फरमाया जावें। इसी ईश्तदुआ के साथ सहायक विकास अधिकारी बडीसादडी ने अपनी बहस पत्रावली समाप्त की। हमने पत्रावली का बागौर आद्यौपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख का परिशीलन किया। तथ्यों का मनन किया। पत्रावली वास्ते निर्णय रिजर्व की गई।

पत्रावली वास्ते निर्णय पेश हुई। हमने पत्रावली का आद्यौपांत अवलोकन किया। प्रकरण में तथ्यों का गहनता पूर्वक अवलोकन किया। हमने विधि का अवलोकन किया पंचायतीराज अधिनियम, 1994 की धारा 97 का गहनता पूर्वक परिशीलन किया।

97. Power of revision and review by Government.- (1) The State Government may, either of its own motion or on an application from any person interested, call for and examine the record of a Panchayati Raj Institution or of a Standing Committee or Sub-Committee thereof in respect of any proceedings to satisfy itself as to the correctness, legality or propriety of any decision or order passed therein or as to the regularity of such proceedings and, if in any case, it appears to the State Government that any such decision or order be modified, annulled, reversed or remitted for reconsideration, it may pass order accordingly:

Provided that the State Government shall not pass any order prejudicial to any partyunless such party has a reasonable opportunity of being heard in the matter.

(2) The State Government may stay the execution of any such decision or order prejudical to any party, pending the exercise of its powers under sub-section (1) in respect thereof.

(3) The State Government may, of its own motion or on an application received from any reason interested, at any time within ninety days of the passing of an order under Subsec.

(1), review any such order if it was passed by it under any mistake, whether of fact or of law or in ignorance of any material fact. The provisions contained in the proviso to Sub-sec. (1) and in Sec. (2) shall apply to a proceeding under this sub-section.

राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 की धारा 97 के अनुसार राज्य सरकार स्वप्रेरणा से या किसी हितबद्ध व्यक्ति के आवेदन पर किसी पंचायती राज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता, औचित्य एवं नियमित होने की दृष्टि से अभिलेख मंगाने, परीक्षण करने एवं ऐसे आदेश/निर्णय/कार्यवाही प्रस्ताव को संशोधित करने, उलट दिये जाने, उपांतरित किये जाने या पुनः विचारार्थ प्रतिप्रेषित किये जाने की अधिकारिता रखती है। राज्य सरकार की अधिसूचना कमांक एफ4(10)परावि/विधि/संशोधन/2004/3690 दिनांक 13.12.2004 के अनुसार उक्त धारा 97 के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रत्यायोजन जिला कलक्टर को पुर्नस्थापित कर दिया गया

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

है। निगराकार द्वारा हस्तगत निगरानी में विवादित पट्‌टे के संबंध में उसकी विधिकता/औचित्य के संबंध में प्रश्न उठाया गया है, ऐसी स्थिति में प्रकरण इस न्यायालय में पोषणीय पाया जाता है।

हमने पत्रावली का आद्योपांत अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त अभिलेख की अवलोकन/परिशीलन किया। पंचायतीराज नियम 1996 के अध्याय 9 में आबादी भूमि के संबंध में प्रक्रियात्मक प्रावधान किये गये है। उक्त प्रावधानों के अनुसार नियम 157 के तहत पुराने गृहों का विनियमितीकरण किये जाने के प्रावधान प्रावधित किये गये है। पंचायतीराज नियम, 1966 के नियम 157 में निम्नानुसार प्रावधान प्रावधित किये गये है।

157. **Regularisation of old houses.-**

[1][Where the persons are in possession of the old houses in Abadi land and desire to get a patta issued, patta may be issued by the Panchayat in Form XXIII-A after depositing the charges as under : -

(a)	For old houses constructed more than fifty years before the date of commencement of these rules	Rs. 100 /-
(b)	For old houses constructed [during the seventy years immediately preceding to date of 31st December, 2016].	Rs. 200/-

[2][Provided that no fees shall be charged under sub-clause (a) an only 10 percent fees shall be charged under sub-clause (b) of clause (i) above from the families included in the list of below poverty line.]

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी से प्राप्त अभिलेख का गहनता से अध्ययन/परिशीलन किया। राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। प्रावधानुसार जहॉ व्यक्तियों के कब्जे से आबादी भूमि में पुराने गृहों हो और वे पंचायत से कोई पट्‌टा जारी करवाना चाहते हो तो वह नियमानुसार राशि कराये जाने के पश्चात् पंचायत द्वारा पट्‌टे जारी किया जा सकेगा। यहॉ यह तथ्य महत्वपूर्ण के है कि ग्राम पंचायत को राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में आबादी भूमि में स्थित पुराने गृहों विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधान प्रावधित किये गये है। उक्त प्रावधानों के तहत ग्राम पंचायत को केवल मात्र आबादी भूमि स्थित गृहों के विनियमितीकरण किये जाने की ही क्षेत्राधिकारिता है गैर आबादी भूमि के संबंध में ग्राम पंचायत को किसी भी प्रकार के कोई अधिकार राजस्थान पंचायतीराज अधिनियम 1994 द्वारा प्रदान नहीं किये गये है।

हमने अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा प्रस्तुत मूल अभिलेख का अवलोकन किया। प्रस्तुत अभिलेख में पत्रालवी में

Signature Not Verified
Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested
सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

संलग्न आज्ञाओं की सूची में वर्णित आज्ञाओं में आज्ञा संख्या 1 दिनांक 20.04.2017 में भूखण्ड की आराजी संख्या का अंकन नहीं होकर रिक्त है। आज्ञा संख्या 2 दिनांक 20.04.2017 में मिसल दायर दिनांक एवं अनापत्ति पत्र जारी किये जाने की दिनांक के कॉलम रिक्त होकर खाली है। इसी प्रकार आज्ञा संख्या 3 दिनांक 11.05.2017 में अनापत्ति के संबंध में भी किसी प्रकार का कोई अंकन नहीं होकर कॉलम रिक्त है। आज्ञा संख्या 3 दिनांक 11.05.2017 के कॉलम भी रिक्त होकर खाली है। भूखण्ड के संबंध में पटवारी रिपोर्ट/किस्म भूमि प्रमाण–पत्र नहीं है। ग्राम पंचायत बानसी द्वारा जारी सूचना पत्र बाबत् आबादी भूमि में स्थित पुराने गृह के विनियमितीकरण के संबंध में आरोप आमंत्रित करने का के समस्त कॉलम रिक्त है। इसके साथ ही पर ग्राम विकास अधिकारी बानसी के हस्ताक्षर नहीं है। वार्ड पंचों की कमेटी रिपोर्ट में भूखण्ड के संबंध में किसी भी प्रकार से नाप–चौक भूखण्ड के क्षेत्रफल का वर्णन अंकित नहीं है। ऐसी स्थिति में अप्रार्थी संख्या 1 को निगराधीन पट्टा संख्या 43 में कुल 2648 वर्गफीट का पट्टा किस प्रकार जारी किया गया है। इसका अंकन पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड में अंकित नहीं है, ऐसी स्थिति में न्यायालय के समक्ष यह तथ्य प्रकट होता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 में पुराने गृहों को विनियमितीकरण के संबंध में प्रावधानो की पूर्ण रूप से अवहेलना किया जाना जाहिर होता है। इसके साथ ही हमने उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रेषित जांच प्रतिवेदन का गहनता पूर्वक अवलोकन/परिशीलन किया। उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा पत्रांक/सतर्कता/2020/62 दिनांक 20.03.2020 से जिला कलक्टर चित्तौड़गढ़ को प्रेषित जांच प्रतिवेदन के पैरा संख्या 5 में अवगत कराया गया है कि पूर्व सरपंच शंकरलाल सालवी एवं ग्राम पंचायत कनिष्ठ सहायक कैलाश (तात्कालिक ग्राम विकास अधिकारी इनचार्ज) द्वारा पट्टा बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 को सोसरदेवी पत्नि हीरालाल शर्मा निवासी बानसी को जारी किया गया पट्टा ग्राम बानसी के आराजी संख्या 1089 खातेदारी में जारी किया गया है, ऐसी स्थिति में अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा अपने क्षेत्राधिकार से परे जाकर उक्त विवादित पट्टा जारी किया जाना जाहिर होता है। अप्रार्थीगण बाजवूद सूचना के अनुपस्थित रहे है जिससे पत्रावली पर अप्रार्थीगण के और से निगरानी मेमों का किसी भी प्रकार खण्डन उपलब्ध नहीं है। ऐसी स्थिति में जाहिर आता है कि अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितिकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

ग्राम पंचायत बानसी द्वारा त्रुटि कारित की गई है। इसके साथ निगरानी पंचायतीराज अधिनियम, 1994 के तहत प्रस्तुत की गई है जिसमें अधिनियम की धारा 97 के प्रावधानों के तहत ही विचार किया जाना है। अधिनियम की धारा 97 में अंकित प्रावधानों के अनुसरण में उक्त विवादित बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 की ही परीक्षण किया जाना है, उपखण्ड अधिकारी बडीसादडी द्वारा जांच प्रतिवेदन में उठाये गये अन्य तथ्यों के संबंध में किसी भी प्रकार की टिप्पणी किया जाना उचित नहीं है। पंचायतीराज अधिनियम की धारा 97 के तहत पंचायतीराज संस्था या उसकी किसी समिति की किन्ही भी कार्यवाहियों के संबंध में निर्णय या आदेश के सही होने, उसकी विधिकता के परीक्षण का ही प्रावधान है। ऐसी स्थिति में विवादित बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 को खारीज किया जाना उचित प्रतीत होता है।

उपर्युक्त विश्लेषण के आधार पर निगराकार द्वारा उठाये गये ग्राम पंचायत बानसी पंचायत समिति बडीसादडी द्वारा विवादित बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 के संबंध में अधीनस्थ ग्राम पंचायत के अभिलेख के गहनता पूर्वक परीक्षण करने पर न्यायालय के समक्ष अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा राजस्थान पंचायतीराज नियम 1996 के नियम 157 के तहत पुराने गृहों के विनियमितीकरण के प्रावधानों के तहत आवेदक को पट्टा जारी किये जाने में विधिक भूल की जाकर पट्टा जारी किये जाने में अधीनस्थ ग्राम पंचायत बडीसादडी द्वारा त्रुटि कारित किया जाना प्रकट होता है, ऐसी स्थिति में निगराकार द्वारा प्रस्तुत निगरानी को स्वीकार किया जाता है, एवं अधीनस्थ ग्राम पंचायत बानसी द्वारा जारी बुक संख्या 16 पट्टा संख्या 43 दिनांक 28.12.2017 जो कि गैर निगराकार संख्या 1 सोसरदेवी पत्नि हीरालाल शर्मा निवासी बानसी के पक्ष में जारी किया गया है को एतद् द्वारा निरस्त किया जाता है। निर्णय की प्रति विकास अधिकारी बडीसादडी को सूचनार्थ एवं पालनार्थ भिजवाई जावे। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख भिजवाया जावे। पत्रावली की गणना निर्णित इन्द्राज की जाकर बाद आवश्यक कार्यवाही के अभिलेखागार भिजवाई जावे।

यह निर्णय खुले न्यायालय में आज दिनांक **16.07.2021** को लिखाया जाकर सुनाया गया।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

(रतन कुमार)
अतिरिक्त कलेक्टर,
(प्रशासन) चित्तौड़गढ़

Signature Not Verified

Digitally signed by Ratan Kumar
Date: 2021.07.26 16:14:01 IST
Reason: SelfAttested